न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : : : संजय कुमार मीना (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या –90/2026, जमानत आवेदन संख्या –88/2026)
सी.आई.एस. नं. –84/2026

1. दिलखुश पुत्र बाबू लाल, उम्र–19 साल, निवासी– ग्राम फालियावास, तहसील–बस्सी, जिला–जयपुर(राज.)।
2. देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह राजावत, उम्र–18 साल, निवासी–ग्राम सांख श्योपुरी, फाल्यावास, तहसील–बस्सी, जिला जयपुर (राज.)।

अभियुक्तगण/प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य

अभियोजन

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस
अपराध अन्तर्गत धारा 326(g) बी.एन.एस 2023, पुलिस थाना कानोता,जयपुर पूर्व

उपस्थिति : 1. विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजावत, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य सरकार की ओर से।

–: आदेश :– **दिनांक : 25.04.2026**

1. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना पत्र धारा 482 बी.एन.एस.एस के तहत पुलिस थाना कानोता पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 90/2026 अपराध अंतर्गत धारा 326(g) बी.एन.एस 2023 बी.एन.एस में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई जा चुकी है। अनुसंधान पत्रावली तलब की गई, प्रस्तुत हुई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी विशाल भाट ने उपस्थित थाना कानोता होकर एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 08.02.2026 को रवि पंडित पुत्र किशन पंडित और मनीष शर्मा उसके वाहन नं. आरजे60 सीबी 0391 को सर्विस के लिये कहकर ले गये थे। उसे दिनांक 09.02.2026 को सुबह पता चला कि उसकी गाडी साम्भरिया रोड, सिन्दोली मोड पर जली हुई है और उसके बाद जब वह साम्भरिया रोड सिन्दोली मोड पर पहुंचा तो वहां उसने अन्य व्यक्तियों से

पूछताछ की तो उसे पता चला कि रात को करीब 10:30 बजे विक्रय मीणा व जयदेव ने अपनी स्कॉर्पियो वाहन, थार वाहन और बोलेरो कैम्पर मे ंसे करीब 10/15 अन्य व्यक्ति और निकले और रवि पंडित और मनीष शर्मा के पास आकर गाली गलौच करने लगे और जब रवि पंडित व मनीष शर्मा ने उन्हें गाली गलौच करने से मना किया तो विक्रम मीणा, सोनु मीणा, जयदेव, और सुरज व अन्य 10–15 व्यक्तिया रवि पंडित व मनीष शर्मा के साथ मारपीट करने लग गये.... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कानोता, जयपुर पूर्व में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थीगण को झूठा फंसाया गया है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण व परीवादी के मध्य आपसी समझाईश व लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। प्रार्थीगण नवयुवक है व प्रार्थीगण का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिये जाने पर उसका भविष्य चौपट होने की सम्भावना है। प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के द्वारा तलब किये जाने पर अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने को तैयार एवं तत्पर है। प्रार्थीगण जयपुर जिले के स्थाई निवासी है तथा सामान्य परिवार के सदस्य है, जिनके अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने पर उनके कहीं भाग जाने व गवाहान को डराने, धमकाने व बरगलाने का अंदेशा नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश व अधिरोपित शर्तों का पूर्ण रूप से पालना किया जायेगा। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया व जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5. सुना गया। अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से **प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध केस डायरी के अनुसार हस्तगत प्रकरण के अलावा कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है।**

6. केस डायरी के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि यह प्रकरण परिवादी विशाल भाट के रिपोर्ट पर दर्ज हुआ है जिसमें उसने अपनी कार नं. आरजे60 सीबी 0391 को मुलजिम द्वारा जलाकर रिष्ट कारित करने का आरोप लगाया है। चूंकि उक्त प्रकरण में मुलजिमान व परिवादी के मध्य राजीनामा हो चुका है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि यह प्रकरण पुलिस थाना कानोता ने अपराध अंतर्गत धारा 326(g)

में प्रमाणित पाया है जबकि 326(g) वहां पर लागू होती है जहां किसी ऐसे स्थल पर अग्नि या विस्फोट पदार्थ द्वारा रिष्टी की जाती है जो मामूली तौर पर निवास या उपासना स्थल के रूप में कार्य में लिया जाता है, जबकि यह रिष्टी वाहन को जलाकर कारित की गयी है तथा उक्त प्रकरण में सहअभियुक्त सूरज, विक्रम व अजय का जमानत आवेदन क्रमशः दिनांक 12.03.2026 व 27.02.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का यह प्रार्थना पत्र राजीनामें के आधार तथा उक्त विवेचनानुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

7. फलतः अभियुक्तगण दिलखुश पुत्र बाबू लाल व देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह राजावत की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रभारी थाना अधिकारी, अनुसंधानकर्ता आरक्षी केन्द्र कानोता, जयपुर को निर्दिष्ट किया जाता है कि अभियोग संख्या 90/2026 में प्रार्थीगण दिलखुश पुत्र बाबू लाल व देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह राजावत की गिरफ्तारी की आवश्यकता हो तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से पचास हजार रुपये का मुचलका और पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें निम्न शर्तों की अनुपालना सहित प्रस्तुत कर प्रमाणित करा दिये जाने पर उन्हें तुरन्त जमानत पर उन्मुक्त कर दिया जावे।

1. जब–जब पुलिस अनुसंधान हेतु तलब करेगी ये उपस्थित हो जाएंगे।
2. साक्ष्य संग्रहण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
3. न्यायालय की अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे।

आदेश की प्रति संबधित थाने को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश बस्सी
जयपुर महानगर प्रथम।

8. आदेश आज दिनांक 25.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश बस्सी
जयपुर महानगर प्रथम।